संविधान पीठ जिसने केहर सिंह के मामले का फैसला किया।इसलिए, केहर सिंह के मामले में संविधान पीठ द्वारा की गई टिप्पणी मारू राम के मामले में निर्धारित किसी भी अनुपात को नहीं बदलती है।न ही केहर सिंह के मामले में पीठ ने क्षमादान शक्तियों के प्रयोग के लिए दिशानिर्देशों के रूप में मौजूदा छूट नियमों के प्रावधानों का उपयोग करने के संबंध में कुछ कहा है।

(37) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि मारू राम के मामले (उपरोक्त) में, संविधान पीठ ने दिशानिर्देश तैयार करने की सिफारिश की थी।केहर सिंह के मामले (ऊपर) में, यह देखा गया कि "विशिष्ट दिशानिर्देशों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है"।हालांकि, पीठ ने यह निर्धारित नहीं किया कि दिशानिर्देश कभी जारी नहीं किए जा सकते।

(38) जो स्थिति सामने आती है वह यह है कि धारा 433-ए के अधिदेश द्वारा, एक व्यक्ति जिसे किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है जिसके लिए मृत्यु दंड में से एक है या जिसके मामले में मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है, उस व्यक्ति को कम से कम 14 साल का कारावास भोगना पड़ता है।हालाँकि, धारा 433-ए का प्रावधान अनुच्छेद 72 और 161 के तहत दया क्षेत्राधिकार को मूर्त रूप देने वाली संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं करता है।पीठ के समक्ष याचिकाओं में आक्षेपित निर्देशों का स्पष्ट रूप से क्षमादान अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को विनियमित करने का उद्देश्य है।इन्हें समय-समय पर संशोधित/स्पष्ट किया गया है।ये धारा 433-ए के अधिदेश का उल्लंघन नहीं करते हैं।

(39) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इन याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।नतीजतन, दोनों याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

आरएनआर

आर. एस. मोंगिया और के. सी. गुप्ता के समक्ष, जे. जे.

गुनीता चड्ढा और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य- प्रत्यर्थी

1998 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 5758

11दिसंबर, 2000

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद 226-पंजाब अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, *1937 (1976* नियमों द्वारा प्रतिस्थापित*)* -

चंडीगढ़ शैक्षिक सेवा *(*समूह 'बी' गज़*)* सरकारी कला और विज्ञान महाविद्यालय नियम, 1990-आर. एल. *4*-रिक्त पदों के खिलाफ व्याख्याताओं के रूप में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति-*1990* के नियमों की घोषणा से पहले मौजूदा और खाली पद-क्या ऐसी रिक्तियां जो संशोधित नियम *1990* से पहले हुई थीं, वे *1937* के नियमों द्वारा शासित होंगी-आयोजित, हाँ-जो पद नियमों के संशोधन से पहले खाली हैं, उन्हें अपरिवर्तित नियमों के अनुसार भरा जाना है-रिट ने याचिकाकर्ताओं को नियमित रूप से व्याख्याताओं के रूप में नियुक्त किए जाने के रूप में माने जाने की अनुमति दी है, जो सभी परिणामी लाभों के साथ उनकी प्रारंभिक भर्ती की तारीखें हैं।

यह मानते हुए कि याचिकाकर्ताओं की भर्ती 1937 के नियमों (जो विवादित नहीं है) के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई थी, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति नियमित प्रकृति की थी।नियुक्ति पत्र में, "तदर्थ" शब्द का उल्लेख एक गलत नाम था और इस गलत धारणा के तहत कि ऐसी रिक्तियों के लिए 1990 के नियम लागू किए जाने थे।नियुक्तियों की तारीख मायने नहीं रखेगी लेकिन रिक्ति होने की तारीख अनिवार्य होगी।याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति की तारीख से नियमित माने जाने के हकदार हैं।

(पैरा 24)

उन्होंने आगे कहा कि केवल इसलिए कि अनुलग्नक पी-7 और मधुरिमा शर्मा में उल्लिखित व्याख्याताओं के मामले में चयन और भर्ती की प्रक्रिया 21 फरवरी, 1991 (1990 नियमों की घोषणा की तारीख) से पहले शुरू हो गई थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।दोनों मामलों में नियुक्तियां नियमों की घोषणा के बाद की गई थीं।साइन क्वा नॉन रिक्ति की तारीख है।नियमों के संशोधन से पहले जो पद खाली हैं, उन्हें अपरिवर्तित नियमों द्वारा भरा जाना है।इन परिस्थितियों में भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू हुई, यह महत्वहीन हो जाती है।याचिकाकर्ता अनुलग्नक पी-7 में व्याख्याताओं के साथ-साथ मधुरिमा शर्मा के समान शर्तों में नियमित होने के हकदार थे।

(पैरा 27)

पी. एस. पटवालिया-याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

के. के. गोयल,-प्रतिवादी संख्या *1* के लिए अधिवक्ता

राजन गुप्ता,-प्रतिवादी संख्या *2* और *3* के लिए अधिवक्ता।

निर्णय

आर. एस. मौंगिया जे.

(1) यह रिट याचिका याचिकाकर्ता संख्या 12 और 15 के अलावा सोलह याचिकाकर्ताओं तक सीमित है, जिन्होंने लेक्चरर के रूप में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है।

(2) 1 नवंबर, 1966 को पंजाब राज्य के पुनर्गठन से पहले, पंजाब के पूर्व राज्य में सभी कॉलेजों में लेक्चरर का पद क्लास III पद था और उक्त पद पर नियुक्ति/भर्ती पंजाब अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1937 (जिसे '1937 के नियम' कहा जाता है) के तहत नियंत्रित किया जाता था। लेक्चरर का होना क्लास III पद होने के नाते पंजाब लोक सेवा आयोग के दायरे में नहीं आता था। पंजाब राज्य के पुनर्गठन पर 1 नवंबर, 1966 को, और यू.टी. चंडीगढ़ के गठन पर, 1937 के नियम यू.टी. चंडीगढ़ में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 88 के प्रावधानों के वर्चुअल रूप से लागू और प्रचलन में बने रहे। यू.टी. चंडीगढ़ में लेक्चरर के पद के लिए 1937 के नियमों के तहत नियमित आधार पर नियुक्तियां की गईं, जिसमें लेक्चरर के पद को क्लास III पद के रूप में माना गया। 1937 के नियमों के तहत नियुक्तियां तब की गईं जब उन्हें रोजगार एक्सचेंज को सूचित किया गया और/या समाचार पत्रों में विज्ञापन किया गया। चयन एक चयन समिति द्वारा किया गया जो 1937 के नियमों के तहत गठित की गई थी, जिसमें शिक्षा सचिव, डी.पी.आई. (कॉलेज), विषय के विशेषज्ञ और संबंधित कॉलेज के प्राचार्य शामिल थे।

(3) पंजाब राज्य में, 1937 के नियमों की जगह 1976 के नियमों ने ले ली और 1976 के नियमों के तहत लेक्चरर के पद को क्लास II पद के रूप में माना गया। नतीजतन, 1976 के बाद पंजाब राज्य में लेक्चरर के पद पर भर्ती पंजाब लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जानी थी। यहाँ यह देखा जा सकता है कि यू.टी. चंडीगढ़ में कोई संगत संशोधन नहीं हुआ था और लेक्चरर का पद क्लास III पद के रूप में जारी रहा। इसके बावजूद यू.टी. चंडीगढ़ ने लेक्चरर के पद को क्लास II पद के रूप में मानना शुरू कर दिया, भले ही उसके बाद लेक्चररों की भर्ती 1937 के नियमों के अनुसार ही की जा रही थी लेकिन नियुक्ति पत्रों में यह उल्लेख किया जा रहा था कि लेक्चरर की नियुक्ति 'अस्थायी' थी, और ऐसी नियुक्ति तब तक जारी रहेगी जब तक कि नियमित भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (संक्षेप में 'यूपीएससी') के माध्यम से नहीं की जाती।

(4) कुछ लेक्चरर्स जिन्होंने 1985 और 1986 के दौरान यू.टी. चंडीगढ़ में नियुक्ति प्राप्त की थी, उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सीधे रिट याचिका (सिविल) संख्या 368 का 1987 दायर किया था। इसे डॉ. गगन इंदर कौर और अन्य बनाम यू.टी. चंडीगढ़ और अन्य के नाम से जाना जाता है।

डॉ. गगन इंदर कौर और अन्य ने दावा किया कि हालांकि उनकी नियुक्तियों को अस्थायी नियुक्तियां कहा गया था, फिर भी उन्हें उनकी भर्ती और नियुक्ति की तारीख से कॉलेज कैडर में नियमित लेक्चरर्स के रूप में माना जाना चाहिए। इस रिट याचिका को शीर्ष अदालत ने 17 अक्टूबर, 1995 को स्वीकार कर लिया था। निर्णय की प्रति यू.टी. के लिखित-वक्तव्य के साथ अनुलग्नक पी-1 के रूप में संलग्न की गई है। शीर्ष अदालत में डॉ. गगन इंदर कौर के मामले के निर्णय का उल्लेख करने से पहले यहाँ यह देखा जा सकता है कि 21 फरवरी, 1991 को, चंडीगढ़ प्रशासन ने राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की, जो 14 सितंबर, 1990 की तारीख की थी, जिसमें नियमों को अधिसूचित किया गया था जिसके द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन ने पहली बार लेक्चरर के पद को 1 अप्रैल, 1975 से वापसी प्रभाव से क्लास II पद के रूप में घोषित किया। ये नियम चंडीगढ़ शिक्षा सेवा (ग्रुप 'B' गज़।) सरकारी कला और विज्ञान कॉलेज नियम, 1990 (जिसे आगे '1990 के नियम' कहा जाएगा) के रूप में जाने जाते हैं। 1 अप्रैल, 1975 से लेक्चरर के पद को क्लास II स्थिति प्रदान करने के अलावा, भर्ती के तरीके और योग्यताएँ 1990 के नियमों के नियम 4 में दी गई थीं। 1990 के नियमों को बनाने और राजपत्र में उनके प्रकाशन से पहले, 9 जनवरी, 1991 को एक पत्र शिक्षा सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन, द्वारा यूपीएससी को संबोधित किया गया था, जिसमें नियमों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित कहा गया था:-

> "आपको पहले चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा विभिन्न सरकारी कॉलेजों में नियुक्त अस्थायी लेक्चरर्स की सेवा के नियमितिकरण के मामलों पर विचार करने के लिए कहा गया था, जिसके लिए इस प्रशासन ने आपके कार्यालय के साथ पहले ही अनुरोध रखा है, -इस प्रशासन के पत्र संख्या DPI-UT-C2-12 (170) 83, दिनांक 21 अप्रैल, 1988 के अनुसार। एक और अनुरोध इस कार्यालय के पत्र की समान संख्या दिनांक 29 नवंबर, 1988 के द्वारा अस्थायी लेक्चरर्स के लिए उनकी सेवा की अवधि के अनुसार उम्र में छूट देने के लिए किया गया था, जिसमें अधिकतम 10 वर्ष तक छूट की जा सकती है। उन्हें चयन समिति की सिफारिश के आधार पर नियुक्त किया गया था जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के एक विशेषज्ञ शामिल थे। ये लेक्चरर्स UGC द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हैं। अब चंडीगढ़ प्रशासन के साथ 123 लेक्चरर्स काम कर रहे हैं और उनमें से अधिकतर पिछले 6-7 वर्षों से काम कर रहे हैं। यदि अब उनकी सेवाओं को समाप्त किया जाता है, तो काफी कठिनाई होगी। उनमें से कुछ अधिक आयु के हो गए हैं और उन्हें अन्यत्र रोजगार मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इन लेक्चरर्स के सेवा नियमितिकरण के दावे पर विचार करें और इस मामले में अपना निर्णय जल्द से जल्द सूचित करें।"

(5) उपर्युक्त पत्र को शीर्ष अदालत ने गगन इंदर के मामले के निर्णय में

देखा है। शीर्ष अदालत ने गगन इंदर और अन्य के लिए उपस्थित वकील के तर्क को निम्नलिखित शब्दों में देखा है:-

> "श्री पी. के. गोस्वामी, याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं की (और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों की) लेक्चरर के पद पर नियुक्ति उस समय प्रचलित पंजाब नियम 1937 के अनुसार नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को नियमित नियुक्ति के रूप में माना जाना चाहिए, भले ही नियुक्ति पत्र में इसे अस्थायी प्रकृति का बताया गया हो। इस दलील के समर्थन में, श्री गोस्वामी ने यह भी बताया है कि याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति के बाद से लगातार वेतन, इंक्रीमेंट, आवास भत्ता, आवास सुविधाएं, चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश, यात्रा भत्ता, विदेश यात्रा अवकाश, लंबी छुट्टी, अर्जित अवकाश और सेवा की अन्य पूर्व शर्तें/सुविधाएं दी गई हैं जबकि वे लेक्चरर्स के रूप में काम कर रहे हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि कई लेक्चरर्स, जिन्हें अस्थायी आधार पर नियुक्त लेक्चरर्स के रूप में वर्णित किया गया है, उन्होंने अपने संबंधित कॉलेजों के विभागों में विभागाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन किया है और विभिन्न कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, जैसे कि परीक्षा रजिस्ट्रार (Examination) और अन्य, जिन पदों को कम से कम 10 वर्षों का अनुभव वाले लेक्चरर्स द्वारा भरा जाना है। ये तथ्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर कन्वलजीत कौर ढिल्लों के अतिरिक्त शपथ पत्र में बताए गए हैं और इनका प्रतिवादियों द्वारा खंडन नहीं किया गया है।"

(6) शीर्ष न्यायालय ने 1990 के नियमों के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, जिसमें लेक्चरर के पद को 1 अप्रैल, 1975 से पूर्वव्यापी प्रभाव से क्लास II पद का दर्जा प्रदान किया गया था, निम्नलिखित रूप में निर्णय दिया था:-

> "ऊपर उल्लिखित तथ्यों के मद्देनजर, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं और अन्य लेक्चरर्स की नियुक्ति, जो 1977 से 1990 के नियमों के प्रकाशन की अवधि के दौरान चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश में अनियमित आधार पर नियुक्त किए गए थे, भले ही उन्हें अनियमित नियुक्ति के रूप में वर्णित किया गया हो, वास्तव में एक नियमित नियुक्ति है जो उस समय प्रचलित पंजाब नियम 1937 के अनुसार नियमित नियुक्ति करने की आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई थी। उक्त नियुक्तियों को इस गलत धारणा पर अनियमित प्रकृति का बताया गया है कि लेक्चरर के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए 1977 के बाद यूपीएससी के साथ परामर्श आवश्यक था। चूंकि पंजाब

नियम 1937 जारी रहे, यूपीएससी के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि लेक्चरर का पद 1990 के नियमों के 21 फरवरी, 1991 को प्रकाशन तक क्लास II पद बना रहा। निस्संदेह यह सच है कि 1990 के नियमों के नियम 1 (iii) द्वारा दिए गए पूर्वव्यापी प्रभाव के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 1975 से लेक्चरर्स को क्लास II स्थिति (ग्रुप B) प्रदान की गई है और इसके परिणामस्वरूप लेक्चरर के पद को 1 अप्रैल, 1975 से क्लास II पद के रूप में माना जाना होगा और उक्त पद यूपीएससी (परामर्श) विनियम 1958 के वर्चस्व में आ गया है, जो केवल क्लास III और IV पदों को यूपीएससी के वर्चस्व से बाहर रखते हैं। हमारी राय में, उक्त पूर्वव्यापी संशोधन का प्रभाव याचिकाकर्ताओं को उनके लेक्चरर के पद पर पदार्पण के अधिकार से वंचित करने का नहीं हो सकता, जो 1990 के नियमों के 21 फरवरी, 1991 को प्रवर्तन से पहले हुई थी। चूंकि हमारा मत है कि याचिकाकर्ताओं की लेक्चरर के पद पर नियुक्ति उस समय प्रचलित पंजाब नियम, 1937 के तहत की गई थी, और उक्त नियुक्ति, हालांकि इसे अनियमित प्रकृति का बताया गया था, एक नियमित नियुक्ति थी, याचिकाकर्ताओं और इसी तरह की स्थिति वाले अन्य लेक्चरर्स को 1990 के नियमों के नियम 1 (iii) द्वारा दिए गए पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए इस तरह से कि यूपीएससी के साथ परामर्श में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को नियमित करने की आवश्यकता हो।

इस प्रकार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं और उसी प्रकार की स्थिति वाले अन्य लेक्चरर्स की नियुक्ति, जो 21 फरवरी, 1991 को 1990 के नियमों के प्रकाशन से पहले की गई थी, हालांकि इसे अनियमित प्रकृति का बताया गया था, उसे नियमित नियुक्ति के रूप में माना जाएगा और उक्त लेक्चरर्स को उस आधार पर प्राप्त होने वाले लाभ दिए जाएंगे। हम 21 फरवरी, 1991 को 1990 के नियमों के प्रवर्तन के बाद लेक्चरर के पद पर की गई नियुक्तियों के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। कोई खर्च नहीं होगा।"

(7) याचिकाकर्ताओं के तथ्यों पर आने से पहले यहाँ यह देखा जा सकता है कि 9 दिसंबर, 1990 को, लेक्चरर के कुछ पदों की घोषणा यू.टी. प्रशासन द्वारा की गई थी। इस विज्ञापन में जो शैक्षणिक योग्यताएँ बताई गई थीं, वही 1990 के नियमों में भी थीं, जो 21 फरवरी, 1991 को गजट में प्रकाशित हुए थे। साक्षात्कार विभिन्न तिथियों पर हुए लेकिन जूलॉजी और बॉटनी में लेक्चरर के पदों के लिए साक्षात्कार 23 फरवरी 1991, और 10 मार्च, 1991 को हुए, यानी 21 फरवरी, 1991 को गजट में 1990 के नियमों के प्रकाशन के बाद। सिलेक्शन कमेटी द्वारा चुने गए सभी लेक्चरर्स

को 21 फरवरी, 1991 के बाद नियुक्ति दी गई।

(8) 21 फरवरी, 1991 के बाद जारी विभिन्न विज्ञापनों के द्वारा, याचिकाकर्ताओं को भी विभिन्न विषयों में और विभिन्न तारीखों पर लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विभिन्न पदों के लिए विज्ञापित योग्यताएँ वे नहीं थीं जो 1990 के नियमों में बताई गई थीं, बल्कि वे योग्यताएँ थीं जो यू.जी.सी. द्वारा सुझाई गई थीं। गगन इंदर कौर के मामले में अपनाई गई उसी चयन प्रक्रिया का पालन करने के बाद चयनित होने पर याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। हालांकि, नियुक्ति के पत्रों में यह उल्लेख था कि नियुक्ति अनियमित आधार पर थी या यू.पी.एस.सी. के माध्यम से नियमित आधार पर नियमित नियुक्तियों के होने तक थी। याचिकाकर्ताओं में से एक की नियुक्ति का पत्र (गुनीता चड्ढा) दिनांक 11 अक्टूबर, 1991 को एनेक्सर पी-2 के रूप में संलग्न किया गया है। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की तारीखें और जिन विषयों में उन्हें नियुक्त किया गया था, उनका उल्लेख नीचे किया गया है :-

याचिकाकर्ता संख्या 1	16-10-91	ललित कलाएँ
याचिकाकर्ता संख्या 2	14-10-1991	रक्षा अध्ययन
याचिकाकर्ता संख्या 3	1-12-1992	भौतिकी
याचिकाकर्ता संख्या 4	7-1-1993	रसायन विज्ञान
याचिकाकर्ता संख्या 5	15-1-1993	रसायन विज्ञान
याचिकाकर्ता संख्या 6	16-1-1993	संस्कृत
याचिकाकर्ता संख्या 7	16-1-1993	रसायन विज्ञान
याचिकाकर्ता संख्या 8	16-1-1993	रसायन विज्ञान
याचिकाकर्ता संख्या 9	16-1-1993	समाजशास्त्र
याचिकाकर्ता संख्या 10	8-2-1993	व्यापार
याचिकाकर्ता संख्या 11	17-2-1993	अंग्रेज़ी
याचिकाकर्ता संख्या 13	26-5-1993	अंग्रेज़ी
याचिकाकर्ता संख्या 14	2-7-1993	भूगोल

याचिकाकर्ता संख्या 16	18-7-1993	अँग्रेजी।
याचिकाकर्ता संख्या 17	4-10-1993	संस्कृत
याचिकाकर्ता संख्या 18	22-3-1994	इतिहास.

(9) यहां यह और देखा जा सकता है कि 17 मई, 1993 को, चंडीगढ़ प्रशासन ने याचिकाकर्ताओं की सेवाओं के नियमितीकरण के लिए यू.पी.एस.सी. को सिफारिश की थी। सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

"से

शिक्षा सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन।

को

एस. एस. के. अरोड़ा,

अवर सचिव,

संघ लोक सेवा आयोग,

धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।

दिनांक, चंडीगढ़ 17 मई, 1993।

उप.: चंडीगढ़ प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न सरकारी कॉलेजों में लेक्चरर्स के पदों पर अनियमित नियुक्ति का नियमितीकरण।

महोदय

मुझे उपर्युक्त विषय पर दिनांक *24* सितंबर, *1991* के पत्र संख्या एफ-*4/32(i)9 l-AU2* का उत्तर देने का निर्देश है और यह बताना है कि चंडीगढ़ प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न सरकारी कॉलेजों में लेक्चरर्स के पदों पर अनियमित नियुक्तियों के नियमितीकरण के मामले को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को पत्र संख्या *DPI-UT-C2-3666-12(171) 84,* दिनांक *17* जनवरी, *1992* के माध्यम से संदर्भित किया गया था *(*प्रतिलिपि संलग्न*)*। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के निदेशक ने, उनके पत्र दिनांक *25* फरवरी, *1992* में, इन लेक्चरर्स के नियमितीकरण के मामले को *19* अक्टूबर, *1990* को अधिसूचित नियमों के शिथिलता में एक

बार के उपाय के रूप में संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने की इच्छा व्यक्त की है *(प्रतिलिपि संलग्न)*। तदनुसार, *31* मार्च, *1993* को एक वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अनियमित लेक्चरर्स *(ग्रुप 'बी')* के मामले के नियमितीकरण को, आगामी पैराग्राफ में अनियमित आधार पर लेक्चरर्स की भर्ती करने की तथ्यात्मक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए प्रस्तुत किया जाता है।

2. साल *1967* से *31* मार्च, *1975* तक कॉलेज कैडर लेक्चरर्स *(क्लास-III)* की नियमित नियुक्तियां उचित रूप से गठित चयन समिति द्वारा पंजाब शिक्षा सेवा *(क्लास-III)* नियम, *1937* के संबंधित प्रावधानों के अनुसार की गईं जो कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, *1966* के धारा *88* और *89* के तहत चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी नियमावली के अनुरूप हैं। *1977* में वेतनमानों की समीक्षा और *1* जनवरी, *1973* से पंजाब राज्य द्वारा अपनाई गई यू.जी.सी. पैटर्न के अनुसार, पंजाब सरकार ने सभी लेक्चरर्स को *1* अप्रैल, *1975* से क्लास-*II* का दर्जा प्रदान किया। इसके अनुसार, पंजाब पैटर्न पर सभी लेक्चरर्स को *1* अप्रैल, *1975* से क्लास *II* मानते हुए, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा *1977* के बाद कोई नियमित नियुक्ति नहीं की गई। चंडीगढ़ प्रशासन के कॉलेज में शिक्षण कार्य को जारी रखने के लिए क्लास-*II* लेक्चरर्स की अनियमित आधार पर भर्ती की गई, सार्वजनिक हित में - विशालता से। ये सभी लेक्चरर्स हर साल जुलाई से सितंबर के दौरान एक शैक्षणिक सत्र के लिए नियुक्त किए जाते थे और अगले वर्ष मार्च/अप्रैल से पहले छुट्टियों से पहले उन्हें रिलीव कर दिया जाता था। यूपीएससी के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी क्योंकि अनियमित नियुक्तियों की अवधि एक वर्ष से कम थी।

3. वर्ष *1983* में, *63* लेक्चरर्स ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपनी मूल क्षेत्राधिकार में सागिब सिंह और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश और उसके सचिव और अन्य के नाम से एक रिट याचिका दायर की, जिसका विडियो सी.डब्ल्यू.पी. संख्या *1551* से *1594* का *1984* है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने *13* अगस्त, *1984* को आदेश दिया कि जिन याचिकाकर्ताओं को अनियमित आधार पर नियुक्त किया गया था, उन्हें सेवा में जारी रखा जाएगा जब तक सरकार, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर नियमित नियुक्तियां नहीं करती है और इस बीच याचिकाकर्ताओं को छुट्टियों की अवधि का वेतन मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की एक प्रति भी संलग्न है। इसके अलावा, मिसेज गगन इंदर कौर और *15* अन्य लेक्चरर्स के मामले में एस.एल.पी. *8656* का *87*, सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन को याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करने से रोक दिया, एस.एल.पी. संख्या *8656* में पारित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की एक प्रति भी संलग्न

है।

4. वर्ष *1983* में, *63* लेक्चरर्स ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपनी मूल क्षेत्राधिकार में सागिब सिंह और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश और उसके सचिव और अन्य के नाम से एक रिट याचिका दायर की, जिसका विडियो सी.डब्ल्यू.पी. संख्या *1551* से *1594* का *1984* है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने *13* अगस्त, *1984* को आदेश दिया कि जिन याचिकाकर्ताओं को अनियमित आधार पर नियुक्त किया गया था, उन्हें सेवा में जारी रखा जाएगा जब तक सरकार, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर नियमित नियुक्तियां नहीं करती है और इस बीच याचिकाकर्ताओं को छुट्टियों की अवधि का वेतन मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की एक प्रति भी संलग्न है। इसके अलावा, मिसेज गगन इंदर कौर और *15* अन्य लेक्चरर्स के मामले में एस.एल.पी. *8656* का *87,* सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन को याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करने से रोक दिया, एस.एल.पी. संख्या *8656* में पारित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की एक प्रति भी संलग्न है।

5. स्पष्ट है कि ये अनियमित लेक्चरर्स *(वर्ग-II)* भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनज़र लगभग *1* से *8* वर्षों तक लगातार इसी तरह से जारी हैं। चूंकि इन सभी लेक्चरर्स को सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी ने विधिवत संगठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया था क्योंकि वे पंजाब विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं और अब उनमें से अधिकांश अधिक आयु के हो चुके हैं। आवश्यक है कि इन सभी अनियमित लेक्चरर्स की सेवाओं को *19* अक्टूबर, *1990* को अधिसूचित भर्ती नियमों के तहत एक बार में छूट देकर नियमित किया जाए। तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि चंडीगढ़ शिक्षा सेवा *(ग्रुप बी गजेटेड)* नियम, *1990* की छूट देकर लगभग *1* से *8* वर्षों की सेवा पूरी कर चुके सभी अनियमित लेक्चरर्स की सेवा को नियमित करने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान करें।"

(10) हालाँकि, यूपीएससी चंडीगढ़ प्रशासन की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हुआ।

(11) याचिकाकर्ताओं ने उसी राहत पाने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष OA No. 620/CH/97 दायर किया, जैसी कि सर्वोच्च न्यायालय ने गगन इंदर कौर और अन्यों को निर्णय दिनांक 17 अक्टूबर, 1995 के माध्यम से दी थी, जिसका विस्तृत संदर्भ पहले ही ऊपर दिया जा चुका है। याचिकाकर्ताओं द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के समक्ष निम्नलिखित राहतें

मांगी गई थीं:-

"(i) उनकी नियुक्ति को चंडीगढ़ केंद्रीय क्षेत्र के लेक्चरर (कॉलेज कैडर) पद पर उनकी नियुक्ति की तारीख से नियमित करने के लिए;

(ii) चंडीगढ़ शिक्षा सेवाएं (ग्रुप बी गजटेड), सरकारी कला और विज्ञान महाविद्यालय नियम, 1990 को रद्द करने के लिए, जैसा कि चंडीगढ़ प्रशासन गजट असाधारण दिनांक 21 फरवरी, 1991 में अधिसूचित किया गया था, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा निर्धारित योग्यताओं का उल्लंघन करने वाला होने के अनुसार, इस ट्रिब्यूनल द्वारा सपना नंदा के मामले में OA No. 267-CH of 1991 में पारित आदेशों के अनुरूप, विधिवादी आदेश दिनांक 1 फरवरी 1994 के अनुसार।

(iii) प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए कि वे पंजाब नियम 1937 को आवेदकों और उन सभी को लागू करें जो इस ट्रिब्यूनल द्वारा सपना नंदा के मामले में दिए गए निर्देश के अनुसार भर्ती नियमों के संशोधन के मामले का निर्णय होने तक नियुक्त किए गए थे।"

(12) मूल आवेदन को आदेश दिनांक 2 अप्रैल, 1998 के माध्यम से खारिज किया गया, प्रतिलिपि अनुलग्नक P-15. अतः वर्तमान रिट याचिका।

(13) पक्षों के लिए विद्वान वकीलों के तर्कों को देखने और उनके साथ निपटने से पहले, कुछ और तथ्यों पर ध्यान देना उचित होगा। गगन इंदर कौर के मामले (उल्लेखित) में शीर्ष अदालत के निर्णय के अनुसार, यू.टी. प्रशासन ने, आदेश दिनांक 25 जनवरी, 1996 को, 1990 के नियम लागू होने से पहले नियुक्त किए गए 117 अनियमित लेक्चररों की सेवाओं को नियमित किया। हालांकि, आठ लेक्चरर, जिनकी नियुक्ति 21 फरवरी, 1991 के बाद (1990 के नियम प्रकाशित होने के बाद) की गई थी, लेकिन जिनके मामलों में चयन की प्रक्रिया प्रशासन के प्रकाशन से पहले शुरू की गई थी, ने अपनी गलती का एहसास किया। जूलॉजी में दो रिक्तियों के अलावा सरकारी कॉलेज, सेक्टर 42, चंडीगढ़ में, सरकारी कॉलेज, सेक्टर 11 में एक रिक्ति मौजूद थी। एक महीने बाद अर्थात् 25 मार्च, 1991 को एक और आदेश जारी किया गया, जिसमें 'छुट्टी रिक्ति' शब्द हटा दिए गए थे। प्रशासन के तर्क को खारिज करते हुए, ट्रिब्यूनल ने, अपने निर्णय दिनांक 9 दिसंबर, 1997, प्रतिलिपि अनुलग्नक P-9 में, निम्नलिखित रूप में रखा:-

> "7. हम यह स्वीकार करने के लिए संभव नहीं पाते हैं कि प्रतिवादियों का यह तर्क यद्यपि एक मौलिक रिक्ति 3 अप्रैल, 1990 से मौजूद थी, फिर भी आवेदक को अन्य आठ उम्मीदवारों के साथ नियमित नहीं

किया जा सकता क्योंकि प्रारंभिक पत्र 25 फरवरी, 1991 को जारी किया गया था (अनुलग्नक A-2) छुट्टी रिक्ति के खिलाफ है। यह तथ्य के बावजूद है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने बाद में एक महीने बाद 25 मार्च, 1991 को एक पत्र जारी किया (अनुलग्नक A2/A) जिसमें आदेश से छुट्टी रिक्ति शब्द को हटा दिया गया था। हम पाते हैं कि आवेदक का मामला 9 दिसंबर, 1996 को प्रतिवादियों द्वारा नियमित किए गए अन्य व्यक्तियों से अलग नहीं है (अनुलग्नक A-8)। श्री सेठी, अधिवक्ता प्रतिवादियों के लिए यह तर्क दिया कि चूंकि प्रारंभिक नियुक्ति छुट्टी रिक्ति के खिलाफ थी, इसका चरित्र बाद में नहीं बदल सकता था और आवेदक को अन्य आठ व्यक्तियों के साथ नियमितीकरण का हकदार नहीं था क्योंकि नियुक्ति कट ऑफ तारीख 21 फरवरी, 1991 के बाद थी। हम इस भेदभाव को स्वीकार नहीं कर सकते जब आवेदक की भर्ती एक ही विज्ञापन से एक ही चयन समिति द्वारा की गई थी और उसे छुट्टी रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया गया था, लेकिन 3 अप्रैल, 1990 से एक पद मौजूद था। प्रतिवादियों ने आवेदक के इस दावे का हमारे सामने दस्तावेज दाखिल करके या मूल रिकॉर्ड का प्रदर्शन करके खंडन नहीं किया है। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई है, प्रतिवादी प्रशासन ने एक महीने बाद अर्थात् 25 मार्च, 1991 को जारी एक आदेश (अनुलग्नक A2/A) के साथ उनके पत्र अनुलग्नक A-2 के निरंतरता में और आवेदक के प्रतिनिधित्व पर नियुक्ति को 'अस्थायी और अनियमित' बनाया।

8. इन परिस्थितियों में, आवेदन को प्रतिवादियों को यह निर्देश देकर मंजूरी दी जाती है कि वे आवेदक को वही लाभ प्रदान करेंगे जो उन्होंने अपने आदेश दिनांक 9 दिसंबर, 1996 (अनुलग्नक A-8) द्वारा अन्य आठ व्यक्तियों को दिया था। इस आदेश का पालन इसके आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।"

(14) जैसा कि पहले के पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, 21 फरवरी, 1991 को सरकारी गजट में 1990 के नियमों के प्रकाशन से पहले, चंडीगढ़ प्रशासन ने 9 दिसंबर, 1990 को विभिन्न विषयों में 17 व्याख्याताओं के पदों पर भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया था, जिनमें से दो होम साइंस में व्याख्याता के रूप में भर्ती के लिए थे। एक श्रीमती सपना नंदा ने मूल आवेदन संख्या 267 का 1991 सी.ए.टी. की चंडीगढ़ पीठ में दाखिल किया, जिसमें उन्होंने उस विज्ञापन और उसके अनुसार किए गए चयन को इस आधार पर चुनौती दी थी कि विज्ञापन में व्याख्याता पद के लिए निर्धारित योग्यताएं भारत सरकार और यू.टी. प्रशासन द्वारा अपनाए गए यू.जी.सी. दिशा-निर्देशों के विरुद्ध थीं। उन्होंने 21 फरवरी,, 1991 को जारी अधिसूचना को भी चुनौती दी थी, जिसमें 1990 के नियमों की घोषणा की गई थी,

क्योंकि अधिसूचना में निर्धारित योग्यताएं वही थीं जो 9 दिसंबर, 1990 को विज्ञापित की गई थीं, लेकिन वही यू.जी.सी. दिशा-निर्देशों के विरुद्ध थीं। वह ओ.ए. सी.ए.टी. की पीठ द्वारा 1 फरवरी, 1994 को मंजूर किया गया। प्रतिलिपि लिखित-विवरण के साथ अनुलग्नक R-2 के रूप में जोड़ी गई है। यहां यह देखा जा सकता है कि 1990 के नियमों में जो योग्यताएं उल्लिखित की गई थीं और जो यू.जी.सी. द्वारा सिफारिश की गई थीं, वे अलग थीं। 9 दिसंबर, 1990 को दिया गया विज्ञापन, साथ ही 21 फरवरी, 1991 को 1990 के नियमों को प्रकाशित करने वाली अधिसूचना निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दी गई थी :-

> "8. जैसा कि ऊपर कहा गया है, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचक नहीं है कि ट्रिब्यून में 9 दिसंबर, 1990 को प्रकाशित हुआ विवादित विज्ञापन (अनुलग्नक P-1) चंडीगढ़ प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप नहीं था जैसा कि निदेशक लोक शिक्षा (कॉलेज), चंडीगढ़ प्रशासन को 26 फरवरी, 1990 को लिखे गए पत्र (अनुलग्नक P-p) के जरिए सूचित किया गया था और इस प्रकार कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं था। इसलिए, इस विज्ञापन को खारिज करना पड़ेगा और इसके अनुसार किया गया चयन भी बरकरार नहीं रह सकता है। हालांकि, हम किसी भी आदेश को लाभ लेने के लिए पारित नहीं करना चाहेंगे जो दो चयनित व्यक्तियों में से एक को दिया गया था जिसने कुछ महीनों तक सेवा की थी जब तक कि वह फरवरी/मार्च, 1991 में अपनी चयन के बाद अगस्त, 1991 में इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह, 19 सितंबर, 1990 को सूचित भर्ती नियमों को अनुलग्नक P-2 के अनुसार यू.जी.सी. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और भारत सरकार द्वारा प्रेषित और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अपनाई गई और पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा 18 मई, 1990 के सर्कुलर (अनुलग्नक P-5) में अंततः अपनाई गई योग्यताओं के अनुसार व्याख्याता पद के लिए भर्ती के लिए निर्धारित नहीं करते हैं, उन्हें मनमाना माना जाता है और उस सीमा तक इन नियमों को खारिज कर दिया जाता है। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि 19 अक्टूबर, 1990 को जारी अधिसूचना (अनुलग्नक P-2) जिसमें भर्ती नियमों को सूचित किया गया था, केवल 21 फरवरी, 1991 को चंडीगढ़ प्रशासन विशेष राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी भी नियम को संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत सूचित किया जाता है, संसद या राज्य विधानसभा द्वारा विषय पर कोई विधेयक पारित नहीं होने की स्थिति में, वे कार्यकारी की पूर्ण शक्तियों के तहत जारी किए जाते हैं और इस तरह के नियमों का कानून की शक्ति होती है। ऐसी अधिसूचना जब तक सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नहीं होती तब तक वह लागू नहीं होती है। इसी गिनती पर, 19 दिसंबर, 1990 को हुए साक्षात्कार जो कि भर्ती नियमों की अधिसूचना के प्रकाशन से

पहले 21 फरवरी, 1991 को थे, कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं माने जा सकते हैं।

9) पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, निम्नलिखित निर्देशों के संदर्भ में ओ. ए. की अनुमति दी गई हैः—

(i) ट्रिब्यून में दिनांक 9 दिसंबर, 1990 (अनुलग्नक पृष्ठ-1) को प्रकाशित विज्ञापन जो गृह विज्ञान में व्याख्याता के पद के लिए योग्यता निर्धारित करने से संबंधित है, रद्द कर दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप, 19 फरवरी, 1991 को आयोजित साक्षात्कारों के आधार पर इस विज्ञापन के अनुसार किया गया चयन भी रद्द कर दिया गया है। हालाँकि, गृह विज्ञान में व्याख्याताओं में से एक की नियुक्ति प्रभावित हुई, जिन्होंने 8 अगस्त, 1991 को इस्तीफा देने तक फ़रवरी/मार्च , 1991 से चयन पर कार्य किया।

(ii)19 अक्टूबर, 1990 की अधिसूचना द्वारा जारी और 21 फरवरी, 1990 को चंडीगढ़ प्रशासन के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित चंडीगढ़ शैक्षिक सेवा (समूह-बी राजपत्रित) सरकारी गृह विज्ञान महाविद्यालय नियम, 1990 (अनुलग्नक पी-2) को रद्द कर दिया गया है क्योंकि व्याख्याता के पद पर भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता जैसे कि व्याख्याता, गृह विज्ञान, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा 18 जून, 1990 के अपने परिपत्र (अनुलग्नक पी-4) में निर्धारित योग्यता निर्धारित नहीं करता है, जैसा कि पृष्ठ 8 पर पैरा 5 में निकाला गया है।

(iii)प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे चंडीगढ़ प्रशासन में गृह विज्ञान (कॉलेज संवर्ग) के व्याख्याता के पद के लिए चयन करें, बशर्ते कि पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा 18 जून, 1990 के परिपत्र (अनुलग्नक पी-4) में निर्धारित योग्यता के आधार पर दोनों पद खाली पड़े हों।हमें प्रतिवादीगण के विद्वान वकील द्वारा सूचित किया गया था कि इस बिंदु पर इन नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव लगभग छह महीने पहले भारत सरकार को भेजे गए थे।इसलिए, हम आशा करते हैं कि सक्षम अधिकारियों के निर्णय और संशोधित अधिसूचना जारी करने में अब 6 से 8 सप्ताह से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

(iv)यदि आवेदक उपरोक्त (iii) के अनुसार होने वाले चयन के लिए आवेदन करता है, और यदि उस समय तक वह अधिकतम आयु को पार कर जाती है जो संबंधित नियमों में निर्धारित की जा सकती है, तो उसका आवेदन अधिक आयु के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि वह फरवरी, 1990 में आयोजित चयन के लिए साक्षात्कार

के समय निर्धारित आयु सीमा के भीतर थी।"

(15) हालांकि, उपर्युक्त निर्णय के माध्यम से 9 दिसंबर, 1990 को प्रकाशित विज्ञापन और 21 फरवरी, 1991 को प्रकाशित 1990 के नियमों की अधिसूचना को घरेलू विज्ञान के व्याख्याता पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संदर्भ में खारिज कर दिया गया, लेकिन अन्य विषयों के व्याख्याताओं की योग्यताएं भी उसी दोष से ग्रस्त थीं क्योंकि यूजीसी के दिशा-निर्देशों की योग्यताओं को नियमों में शामिल नहीं किया गया था। चंडीगढ़ प्रशासन ने,-अधिसूचना दिनांक 22 दिसंबर, 1997 के माध्यम से, जो आधिकारिक राजपत्र में 1 जनवरी, 1998 को प्रकाशित हुई थी, नियमों में संशोधन किया जिसका उद्देश्य विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं की योग्यताओं को यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाना था। इस संशोधन को फिर से एक ज्ञान चंद द्वारा, OA No. 93-CH के 1999 में सी.ए.टी. के सामने चुनौती दी गई थी। इसे 5 मई, 1999 को निम्नलिखित शब्दों में निर्णय दिया गया था:-

"11. नतीजतन, हम इस OA को मान्य करते हैं; व्याख्याता पद पर के लिए 'अच्छा शैक्षिक रिकॉर्ड' के मानदंड को शामिल नहीं करने के नियमों (अनुलग्नक A-2) को निरस्त करते हैं। परिणामस्वरूप, प्रशासन द्वारा यूपीएससी के लिए जारी आवश्यकता/विज्ञापन दिनांक 10-16 अप्रैल, 1999 को उस सीमा तक निरस्त तदनुसार, उत्तरदाताओं को यूजीसी द्वारा प्रिस्क्रिब की गई योग्यता मानदंडों सहित 'अच्छे शैक्षिक रिकॉर्ड' को उक्त नियमों शामिल करके व्याख्याता पद के लिए भर्ती मामले में आवश्यक और आवेदक सहित सभी उम्मीदवारों को विचार में लेने के लिए जाता है जो यूजीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार योग्यता मानदंडों को पूरा हैं।

कोई खर्च नहीं।"

नियुक्ति लिए भर्ती चंडीगढ़ (अनुलग्नक A-12) किया जाता है। सभी प्रकार की (A-2) में कार्रवाई करने निर्देश दिया करते

(16) यहाँ यह देखा जा सकता है कि सी.ए.टी. के उक्त निर्णय के अनुसार, यू.टी. प्रशासन ने नियमों में आगे संशोधन किया, जो अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी, 2000 के विदे प्रकाशित हुई, जो चंडीगढ़ प्रशासन गैजेट दिनांक 1 फरवरी, 2000 में प्रकाशित हुई थी।

(17) याचिकाकर्ताओं के लिए सीखे हुए वकील ने निम्नलिखित बिंदु उठाए थे:-

(i) वे पद जिनके खिलाफ याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति निर्णय के पूर्व भाग में उल्लिखित तिथियों पर हुई थी, वे 21 फरवरी, 1991 को 1990 के नियमों के प्रचार

से पहले खाली थे। इन रिक्तियों को पहले लागू होने वाले नियमों, अर्थात् 1937 के नियमों द्वारा भरा जाना था और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं का मामला गगन इंदर कौर के मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णय (उपर्युक्त) द्वारा कवर किया गया है।

(ii) याचिकाकर्ताओं को भेदभाव का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें नियमित नहीं किया गया जब उसी तरह के परिस्थितियों में जो लेक्चरर 21 फरवरी, 1991 के बाद अनुबंध आधार पर नियुक्त किए गए थे, उन्हें गगन इंदर कौर के मामले में निर्णय के आधार पर 10 दिसंबर, 1996 को दिनांकित आदेश, प्रतिलिपि अनुलग्नक P-7, द्वारा नियमित किया गया था। इसी तरह सी.ए.टी. ने भी मधुरिमा शर्मा के नियमितिकरण का आदेश दिया था जिन्हें 21 फरवरी, 1991 के बाद नियुक्त किया गया था।

(iii) यह कि 1990 के नियमों को केंद्रीय प्रशासन ट्रिब्यूनल ने योग्यता के संबंध में निरस्त कर दिया था और जब तक योग्यता में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक नियम काम नहीं कर सकते थे और कानून की नजर में वे मृत पत्र थे। 1990 के नियमों की अनुपस्थिति में, लेक्चरर के पद पर नियुक्ति 1937 के नियमों के तहत की जानी आवश्यक थी।

(18) याचिकाकर्ताओं के वकील ने बिंदु संख्या 1 पर तर्क दिया कि यह विशेष रूप से सी.ए.टी. के सामने दावा किया गया था और इस लिखित याचिका में भी दावा किया गया है कि जिन पदों पर याचिकाकर्ताओं को लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया था, वे 21 फरवरी, 1991 से पहले, अर्थात् 1990 के नियमों के घोषणा से पहले खाली थे। इसे प्रतिवादियों द्वारा इनकार नहीं किया गया है। वकील ने हमारा ध्यान सी.ए.टी. के सामने दायर मूल आवेदन के पैराग्राफ 5 (x) की ओर खींचा, जिसमें निम्नलिखित दावे किए गए थे

> "यह स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग के तहत कला और विज्ञान कॉलेजों के लेक्चरर के पद के लिए यू.टी. प्रशासन के 370 स्वीकृत पद थे। ये 370 के पद 1990 के नियमों और सूचना की तारीख, यानी फरवरी, 1991 से पहले मौजूद थे। इसलिए ये पद नियमित पद थे और इनके खिलाफ नियुक्तियां, इसलिए, नियमित थीं। याचिकाकर्ताओं को भी इन्हीं पदों के खिलाफ नियुक्त किया गया है जो 1990 के नियमों से पहले मौजूद थे। इसलिए 1937 के नियम इन 370 पदों पर लागू होते हैं जो 1990 के नियमों के आने से पहले मौजूद थे। किसी भी मामले में इन 1990 के नियमों को लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्हें अभी तक संशोधित किया जाना बाकी है।"

(19) उपरोक्त दावे के जवाब में प्रशासन ने निम्नलिखित प्रतिक्रिया दी:

भर्ती गए पुराने पदों जैसा कि यूनिवर्सिटी परिवर्तन के लिए, वे

"पैरा के जवाब में यह कहा जाता है कि 21 फरवरी, 1991 को सूचित नियमों के लागू होने के साथ, पदों को समय-समय पर संशोधित किए नियमों के प्रावधानों के अनुसार भरा जाना है। इसका यह दावा कि को पुराने नियमों के तहत कवर किया जाना है, से कोई संबंध नहीं है। पहले ही प्रस्तुत किया गया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन/पंजाब किसी भी समय योग्यता में संशोधन कर सकती है और योग्यता में साथ, आवेदकों की स्थिति नहीं बदल सकती और सभी प्रयोजनों के राजपत्रित ग्रुप-बी हैं।"

(20) इस रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा पैराग्राफ 12 (iv) में निम्नलिखित दावे किये गए हैं:

"(iv) यह और भी प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने ओए में पैरा 5(x) में विशेष रूप से यह दावा किया था कि जिन पदों के विरुद्ध उन्हें नियुक्त/भर्ती किया गया था, वे पद 1990 के नियमों के 21 फरवरी, 1991 को प्रकाशन से पहले मौजूद थे। इस तथ्य को प्रशासन ने अपने जवाब में नकारा नहीं था। अब यह स्थापित हो चुका है कि उस समय लागू भर्ती की योग्यता/शर्तें जब रिक्तियाँ अस्तित्व में आईं थीं, उन रिक्तियों पर लागू होनी चाहिए। संबंधित समय पर, 1990 की अधिसूचना मौजूद नहीं थी। इसलिए, इस आधार पर भी जब से पद मौजूद थे, 1990 के नियमों के प्रवर्तन से पहले, उन्हें भी 1937 के नियमों के तहत शासित किया जाएगा और 1990 के नियम उन पदों पर लागू नहीं हो सकते। इसलिए, इस आधार पर भी, याचिकाकर्ता नियमितीकरण के हकदार हैं;"

(21) प्रशासन का उपरोक्त दावे पर जवाब इस प्रकार है:

"12 (iv) कि इस उप-पैराग्राफ के जवाब में कहा जाता है कि 21 फरवरी, 1991 को नोटिफाई किए गए भर्ती नियमों के लागू होने के साथ, पदों को समय-समय पर संशोधित किए गए नियमों के प्रावधान के अनुसार भरा जाना है। इसमें यह तर्क कि पुराने पद पुराने नियमों के तहत आने चाहिए, का कोई महत्व नहीं है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन/पंजाब यूनिवर्सिटी किसी भी समय योग्यताओं में संशोधन कर सकती है और याचिकाकर्ताओं की स्थिति बदल नहीं सकती है और सभी प्रयोजनों के लिए, वे गजटेड ग्रुप-बी हैं"

(22) अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उपरोक्त दावों से यह स्पष्ट है कि जिन पदों पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति हुई थी, वे पद 21 फरवरी, 1991 से पहले मौजूद

और रिक्त थे, जब 1990 के नियम लागू किए गए थे और तदनुसार, इन पदों को 1937 के नियमों के अनुसार भरा जाना था जो कि 21 फरवरी, 1991 से पहले मौजूद थे। अपने तर्क के समर्थन में, अधिवक्ता ने शीर्ष अदालत के दो निर्णयों का हवाला दिया, जो कि वाई.वी. रंगैया और अन्य बनाम जे. श्रीनिवास राव और अन्य[1], और पी. गणेश्वर राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य[2] के रूप में प्रकाशित हैं। दूसरी ओर, प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि पदों को 1990 के नियमों की घोषणा के बाद 21 फरवरी, 1991 को भरा गया था, और इन पदों को भरने की प्रक्रिया भी 21 फरवरी, 1991 के बाद शुरू हुई थी, इसलिए पदों को 1990 के नियमों के अनुसार भरा जाना था और, इसलिए, याचिकाकर्ताओं को यूपीएससी के माध्यम से नियमित नियुक्तियों तक अस्थायी आधार पर सही ढंग से नियुक्त किया गया था।

(23) इस बिंदु पर पक्षों के लिए सीखे गए अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं के लिए सीखे गए अधिवक्ता के तर्क में दम है। उपरोक्त दावों से स्पष्ट है कि प्रशासन की ओर से इस बात का इनकार नहीं है कि जिन पदों पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति हुई थी, वे पद 21 फरवरी, 1991 को, अर्थात् 1990 के नियमों की घोषणा से पहले मौजूद और रिक्त थे। वाई. वी. रंगैया के मामले में (सुप्रा), शीर्ष अदालत ने निर्णय के पैरा 9 में निम्नलिखित प्रकार से अवलोकन किया है :-

> ".....जो रिक्तियां संशोधित नियमों से पहले हुईं, वे पुराने नियमों द्वारा नियंत्रित होंगी, न कि संशोधित नियमों द्वारा। यह दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा स्वीकार किया गया है कि अब से सब-रजिस्ट्रार, ग्रेड II, के पद पर प्रमोशन नए नियमों के अनुसार क्षेत्रीय आधार पर होगा, न कि राज्यव्यापी आधार पर और, इसलिए, नए नियमों को चुनौती देने का कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन प्रश्न उन रिक्तियों को भरने का है जो संशोधित नियमों से पहले हुईं। हमें इस बात का जरा भी संदेह नहीं है कि जो पद संशोधित नियमों से पहले रिक्त हो गए थे, वे पुराने नियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, न कि नए नियमों द्वारा।"

(24) इसी तरह पी. गणेश्वर राव के मामले (उपरोक्त) में यह माना गया था कि जो रिक्तियां नियमों में संशोधन से पहले मौजूद थीं, उन्हें बिना संशोधित नियमों के पालन करते हुए भरना था। यह स्थिति होने के कारण, हमारे अनुसार, याचिकाकर्ताओं की भर्ती जो कि 1937 के नियमों के अंतर्गत उचित प्रक्रिया का पालन करके की गई थी (जिस पर विवाद नहीं है), वे सभी इरादों के लिए नियमित प्रकृति के थे। नियुक्ति पत्र में 'अनियमित' शब्द का उल्लेख एक गलत नाम था और यह गलत धारणा के तहत था कि ऐसी रिक्तियों के लिए 1990 के नियम लागू किए जाने थे:

---

[1] एआईआर 1983 एससी 852
[2] जे.टी. 1988 (3) एस.सी. 570

हमारे अनुसार, याचिकाकर्ताओं का मामला गगन इंदर कौर के मामले में निर्धारित कानून से अलग नहीं है। हमारे विचार से, नियुक्ति की तारीख मायने नहीं रखती लेकिन रिक्ति की होने की तारीख महत्वपूर्ण है। याचिकाकर्ताओं को उनकी नियुक्ति की तारीख से नियमित माने जाने का हकदार है।

(25) याचिकाकर्ताओं के वकील ने बिंदु संख्या (ii) पर तर्क दिया कि गगन इंदर कौर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, आठ व्याख्याता जिनके नाम पहले ही दिए गए हैं, को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नियमित किया गया था, विडियो आदेश दिनांक 9 दिसंबर, 1996, प्रतिलिपि परिशिष्ट पी-7, के अनुसार। ये आठ व्याख्याता भी 21 फरवरी, 1991 के बाद नियुक्त किए गए थे, अर्थात 1990 के नियमों के प्रचार के बाद। इसी प्रकार, केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने भी एक श्रीमती मधुरिमा शर्मा का ओ.ए. मंजूर किया था हालांकि उनकी भी नियुक्ति 21 फरवरी, 1991 के बाद हुई थी। याचिकाकर्ता भी 21 फरवरी, 1991 के बाद नियुक्त किए गए थे, इसलिए उन्हें परिशिष्ट पी-7 में उल्लिखित व्याख्याताओं के साथ-साथ श्रीमती मधुरिमा शर्मा से अलग नहीं माना जा सकता। यह भी तर्क दिया गया कि 1988 और 1993 में चंडीगढ़ प्रशासन ने स्वयं यू.पी.एस.सी. को याचिकाकर्ताओं को नियमित करने की सिफारिश की थी। 1991 और 1993 के संवाद पहले ही उपर दोहराए जा चुके हैं।

(26) दूसरी ओर, प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया कि परिशिष्ट पी-7 में उल्लिखित व्याख्याताओं के मामले में उनकी चयन और भर्ती की प्रक्रिया 21 फरवरी, 1991 को नियमों के प्रचार से पहले शुरू हो चुकी थी। मधुरिमा शर्मा का मामला भी इसी प्रकार का है। इसलिए याचिकाकर्ता अपने मामलों की तुलना उपरोक्त व्याख्याताओं से नहीं कर सकते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की सिफारिशों के संबंध में, वकील ने यह भी सुझाव दिया कि सिफारिशें किए जाने के बावजूद, यू.पी.एस.सी. ने याचिकाकर्ताओं को नियमित करने के लिए सहमति नहीं दी थी।

(27) प्रतिवादी और याचिकाकर्ता पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद हमारा मानना है कि केवल इसलिए कि व्याख्याताओं के मामले में परिशिष्ट पी-7 और मधुरिमा शर्मा के मामले में चयन और भर्ती की प्रक्रिया 1990 के नियमों के प्रचार से पहले यानी 21 फरवरी, 1991 से शुरू हुई थी, उससे हमारे हिसाब से कोई अंतर नहीं पड़ता। दोनों मामलों में नियुक्तियां नियमों के प्रचार के बाद की गईं। हमारे विचार में, निर्णायक तारीख रिक्ति की होती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार जो पॉइंट नंबर (i) में बताया गया है, नियमों के संशोधन से पहले जो पद रिक्त हैं उन्हें संशोधित नहीं किए गए नियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी। याचिकाकर्ताओं को परिशिष्ट पी 7 (ऊपर) में व्याख्याताओं के रूप में और मधुरिमा शर्मा के समान शर्तों पर नियमित किया जाना चाहिए था। इसके अलावा याचिकाकर्ता पिछले लगभग सात

से नौ वर्षों से व्याख्याता के रूप में काम कर रहे हैं और अब उम्रदराज हो गए हैं।

(28) बिंदु संख्या (iii) के रूप में, हम पहले ही विस्तार से उल्लेख कर चुके हैं कि किस तरह और किस हद तक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने 1990 के नियमों को खारिज किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1990 के नियमों में योग्यताओं की व्यवस्था को लेकर, वही दो बार सी.ए.टी. द्वारा खारिज किया गया था, पहली बार सपना नंदा के मामले में 1 फरवरी, 1994 को, और उसके बाद संशोधन किए जाने के बाद फिर 5 मई, 1999 को जियान चंद के मामले में (उपरोक्त)। अब नियमों में संशोधन 17 जनवरी, 2000 को किया गया है, - अधिसूचना के अनुसार, 1 फरवरी, 2000 को। जैसा कि हमने बिंदु संख्या (i) और (ii) पर लिया गया दृष्टिकोण, हम इस बिंदु पर अंतिम राय देने से खुद को बचा रहे हैं हालांकि प्रथम दृष्टया हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर राज्य सिक्किम बनाम दोरजी त्सेरिंग भुटिया और अन्य[3], नियमों या कार्यकारी निर्देशों द्वारा योग्यताएं तय नहीं की गई होने की स्थिति में, 1990 के नियम काम नहीं करते हैं। हालांकि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, हम इस बिंदु पर अंतिम राय नहीं दे रहे हैं।

(29) उपर्युक्त कारणों के लिए, हम रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 2 अप्रैल, 1998 के आदेश, अनुलग्नक P-15 की प्रति को निरस्त करते हैं, और यह घोषित करते हैं कि याचिकाकर्ताओं को उनकी प्रारंभिक भर्ती की तिथियों से लेक्चरर के रूप में नियमित रूप से नियुक्त किया जाना है, साथ ही सभी अनुक्रमिक लाभों के साथ। खर्चों के आदेश के बिना होगा

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार
हिसार, हरियाणा

[3] जे.टी. 1991 (3) एससी 456